न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 181/2014 (2014/00063)

1. शंकरलाल पुत्र श्री छोगा मीणा जाति मीणा निवासी सुन्दरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

——वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

उपस्थित—

1. श्री सीताराम कुमावत –वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार – तहसीलदार सावर

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136मू–राजस्व अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 28.6.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1–1	444	0.99	बारानी 3
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.99है.	

उक्त आराजीयात का जमाबन्दी संवत् 2042–45 के अनुसार आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
125–143	207/2मि	2 बीघा	बारानी –3

उक्त आराजीयात खसरा संख्या 207/2 मी. रकबा 2 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 02.5.2000 को खातेदार खेमराज पुत्र श्रवण व रामचन्द्र पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासीगण सुन्दरपुरा तहसील सावर से खरीद कर प्राप्त की थी। तब से ही वादी के कब्जे काश्त आधिपत्य में चली आ रही है व काबिज काश्त करता चला आ रहा है उक्त आराजीयात खरीद करने के बाद उक्त खसरा संख्या नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 21.6.2000 को केता वादी के नाम पर दिया गया जिसका इन्द्राज जमाबनदी संवत् 2042–45 में किया गया है इसके बाद राजस्व अधिकारियों ने आगे के वर्षों की जमाबन्दियों में वादी का नाम विलोपित कर दिया तथा उक्त खसरा नम्बर सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जो कतई गलत है जबकि आराजी पर आज भी वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी काश्त कर पैदावार लेता चला आ रहा है वादी को इसकी जानकारी दिनांक 10.2.2014 को कि उक्त खरीदशुदा आराजीयात सिवायचक दर्ज हो गयी जिस पर वादी ने राजस्व रिकोर्ड की नकलें

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रात की व उसके बाद राही जानकारी हुई। वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया तो टालमटोल करते रहे तथा श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश लाने के लिए वादी को कहा गया। वादी को वाद ग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड बनाया जाकर माल गुजारी कायम की जाने का निवेदन वाद पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। **प्रतिवादी** जरिये पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया। जवाब निम्नानुसार है–

1. बिन्दु संख्या 1 हाल खसरा नंबर 444/0.99 बारानी 3 है जबकि साबिक खसरा नंबर 207/2मि रकबा 2 को नामान्तरण संख्या 34 दिनांक 10.6.1992 द्वारा गै. खातेदारी से खातेदारी नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 21.6.2000 द्वारा जरिये विक्रय शंकरलाल पुत्र छोगा कौम मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई।
2. खजरा चौसला 2071–74 के अनुसार संवत 2071 रकबा 0.16 जो रकबा 0.08 रकबा कुल 0.32 संवत 2072 खरीफ 0.20 व रबी 0.24 संवत 2073 में रबी 0.24 पर पी–14 के अनुसार कब्जा काश्त है।
3. बिन्दु 6,7,8,9,10,11, अस्वीकार है
4. बिन्दु 4 स्वीकार है
5. बिन्दु संख्या 12 अस्वीकार है वर्तमान रेकार्ड के अनुसार हाल खसरा नंबर 444 रकबा 0.99 सिवायचक दर्ज रेकार्ड है जो दावा की गई भूमि बहुत बडा रकबा है।

तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है।

1. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि उसकी क्रय शुदा आराजी होने से वादी घोषणा कराने व रेकार्ड सुधार कराने का हक रखता है। (वादी)
2. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमोन में सिवायचक खाते मे दर्ज होने से वादी का दावामय हर्जे खर्चे के खारिज होने योग्य है। (प्रतिवादी)

शहादत वादी में वादी शंकरलाल व गवाह श्री दिलराज व अनिल कुमार, शिवलाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। गवाहान से जिरह नही करना चाहने से जिरह शून्य रही।

तनकीयात अनुसार निर्णय निम्नानुसार है

1. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि उसकी क्रय शुदा आराजी होने से वादी घोषणा कराने व रेकार्ड सुधार कराने का हक रखता है के प्रश्न में वादी द्वारा आराजी ग्राम सुन्दरपुरा के खाता संख्या नया–पुराना 125–143 के खसरा संख्या 207/2 रकबा 2 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 2.5.2000 को खातेदार खेमराज पुत्र श्रवण व रामचन्द्र पुत्र श्रवण से खरीद कर प्राप्त की है वादी द्वारा विक्रय पत्र की प्रतिलिपि पेश की है जो नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 21.6.2000 को केता वादी के नाम पर दिया गया सत्यापित जमाबंदी संवत 2041–45 में नां.सं 78 का अंकन स्वीकार हुआ। अतः तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

2. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिंचायचक खाते में दर्ज होने से वादी का दावामय हर्जे के खारिज होने योग्य के प्रश्न पर आराजी ग्राम सुन्दरपुरा के खसरा संख्या 444 रकबा 0.99 किस्म बारानी 3 के सांविक खसरा नंबर 207/2मि. रकबा 2 किस्म बारानी 3 का नामान्तरण संख्या 34 दिनांक 10.6.1992 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी मिली नामान्तरण संख्या 78 दिनांक 21.6.2000 द्वारा जरिये विक्रय शंकरलाल पुत्र छोगा कौम मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई सरकार जवाब में पेश किया जिसका अवलोकन सत्यापित जमाबंदी संवत् 2041–45 में दर्ज अंकन है परन्तु आगे की जमाबंदियो में वादी का नाम विलोपित कर उक्त खसरा नम्बर सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

–:निर्णयः–

तनकीयात 1 व 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाने तथा वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर आराजी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील सावर के खाता संख्या 125–143 खसरा संख्या 207/2मि. रकबा 2 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार खेमराज पुत्र श्रवण व रामचन्द्र पुत्र श्रवण जाति मीणा से खरीद कर प्राप्त की है अतः वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
ककेडी (अजमेर)
ककेडी

Scanned with CamScanner